भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3016

उत्तर देने की तारीख 08 अगस्त, 2023
17 श्रावण, 1945 (शक)

महिला फुटबाल खिलाड़ी

3016. श्री एस. जगतरक्षकन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि केवल मुट्ठी भर महिला फुटबाल खिलाड़ी पूर्णकालिक पेशेवर खिलाड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें जमीनी स्तर की प्रणालियों में सुधार करने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैचों की आवृत्ति बढ़ाने और अपनी टीम को बहुत आवश्यक अनुभव और एक्सपोजर प्रदान करने की आवश्यकता है, सरकार द्वारा देश में महिला फुटबॉलर खिलाड़ियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) : खेल विधा विशेष को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) की है । युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश में फुटबॉल के संवर्धन और विकास के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ (एआईएफएफ) को मान्यता प्रदान की है । एआईएफएफ ने सूचित किया है कि वर्तमान में महिला फुटबॉल पेशेवर खिलाड़ियों की कुल संख्या 337 है ।

(ख) एनएसएफ को सहायता स्कीम के तहत एआईएफएफ को एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए जेंडर का भेदभाव किए बिना वित्तीय सहायता दी जा रही है जिसमें पौष्टिक आहार, खाद्य संपूरक, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएं, ख्यातिप्राप्त भारतीय और विदेशी कोचों/सहायक स्टाफ की सेवाएं, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता, खेल किट आदि के अलावा विदेशों में उनके प्रशिक्षण और सब जूनियर, जूनियर और सीनियर श्रेणियों में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों, भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता सहित उनकी तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं । उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ष एआईएफएफ सहित प्रत्येक एनएसएफ के लिए एक एसीटीसी (प्रशिक्षण और प्रतियोगिता का वार्षिक कैलेंडर) बजट अनुमोदित किया जाता है ।

इस मंत्रालय ने एआईएफएफ को भारत में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, 2022 के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

****